



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

Web- <https://pwd.uk.gov.in/>

E-Mail- estapwd@gmail.com

पत्रांक: - 302/34व्यक-स्था0-सा0/23

दिनांक 12/06/2024

:कार्यालय ज्ञाप:

इस कार्यालय के पत्र सं0-788/34व्यक-स्था0-सा0/23 दिनांक 10.06.2024 द्वारा सहायक अभियन्ता (सि0/वि0/यां0) के स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित कार्यालय में तैनात किये जाने के आदेश एतद्द्वारा निम्नवत् पारित किये जाते हैं:-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	कार्यहित/निजीहित	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1	श्री रमेश चन्द्र प्रभारी सहायक अभियन्ता	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला	निजीहित	17(1)(ख)(छः)
2	श्री सीताराम डोभाल सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पाबौ	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट		

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिकक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित किये गये सहायक अभियन्ताओं को उनके गृह तहसील के क्षेत्रान्तर्गत का कार्यभार नहीं दिया जायेगा।

दीपक कुमार यादव
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, रा0मा0/क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त, लो0नि0वि0,
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
- अधिशाली अभियन्ता, खण्ड, लो0नि0वि0,
- अधिशाली अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- श्री
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता